न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस.
अपील संख्या : 117/2023 (12/113/2022)
तारीख रजू : 20.09.2023 (06.09.2022) निर्णय दिनांक : 15.05.2024

1. जनकसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बेलनी तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.07.2022 न्यायालय तहसीलदार नीमराना

उपस्थितः–

01. श्री ओमानन्द चौधरी –वकील अपीलान्ट
02. पैरोकार सरकार

––:: निर्णय ::––

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त उनवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 20.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये।

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 06.07.2022 जिसके द्वारा प्रार्थना बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम बेलनी तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान के आराजी खसरा नम्बर 140 कुल रकबा 2.60 हैक्टर किस्म गै० मु० पहाड मे से 0.01 हैक्टर पर मिन अपीलान्ट का कोई नाजायज अतिक्रमण/कब्जा नही हैं। उक्त विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट का पक्का मकान अरसे दराज करीब 40–50 साल से बना हुआ हैं, जिसमें अपीलान्ट परिवार सहित रिहायश करता हैं, तथा बिजली कनेक्शन लिया हुआ हैं, तथा चारो तरफ सघन आबादी हैं, जिसमें अन्य ग्रामवासियान के पक्के/कच्चे मकानात बने हुए हैं, ग्राम पंचायत ने मौके पर पक्की सडक बना रखी हैं, तथा मकान नंबर आवंटन किये हुए हैं, गांव के सार्वजनिक धर्मशाला बनी हुई हैं, तथा बोरिंग की हुई हैं, अपीलान्ट के पास परिवार सहित उक्त विवादित आराजी के अलावा अन्य कोई रिहायश का स्थान नही हैं। इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त विवादित आराजी से बेदखल करने के बारे में कभी कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई हैं। मौके पर आबादी बसी हुई हैं। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना कोई जांच किये, अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की है। मिन अपीलान्ट को तहत अदालत से जारी नोटिस की तामील होने पर मिन अपीलान्ट ने तहत अदालत में जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब नोटिस व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर चाहा गया। लेकिन तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट की बेजा रूप से गैरहाजरी दर्ज की हैं। तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट को जवाब नोटिस, दस्तावेजी सबूत व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

अवसर नही दिया गया और विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये, अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय तौर पर पारित किया हैं। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जांच किए अपीलाण्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर आलोच्य निर्णय पारित किया हैं। जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान विभागीय पैरोकार सरकार का तर्क है कि संवत 2078 ग्राम बेलनी के आराजी खसरा नम्बर 140 कुल रकबा 2.60 हैक्टे0 की किस्म गैरमुमकिन पहाड में से 0.01 हैक्टे0 भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है जिससे राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। उक्त अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार विधिवत न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है। अतः दिनांक 06.07.2022 को पारित निर्णय सही तथ्यों के आधार पर किया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार कर यह अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा–91 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है मिन अपीलान्ट ने मौके पर पक्का मकान अरसे दराज करीब 40–50 साल से बना हुआ बताया हैं, जिसमें अपीलान्ट परिवार सहित रिहायश करता हैं, चारो तरफ सघन आबादी हैं, जिसमें अन्य ग्रामवासियान के पक्के/कच्चे मकानात बने हुए हैं, ग्राम पंचायत ने मौके पर पक्की सडक बना रखी हैं, तथा मकान नंबर आवंटन किये हुए हैं, गांव के सार्वजनिक धर्मशाला बनी हुई हैं। मौके पर आबादी बसी हुई हैं। पक्षकारान की अनुपस्थिति में न्यायालय तहसीलदार नीमराना द्वारा आदेश पारित किये गये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नीमराना का आदेश दिनांक 06.07.2022 को निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाकर तहसीलदार नीमराना को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी के संबंध में मौके की पुनः जॉच/पैमाईश कर पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड